न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—99/2017/223 (2017/00099)

1. भंवरसिंह पुत्र भीमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम नन्दावट, तहसील भीम जिला राजसमन्द ।

अपीलांट

बनाम

1. मु0 हेमी बेवा लक्ष्मणसिंह,
2. खुशालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह नाबालिग जरिये माता हेमी देवी,
3. लेखपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह नाबालिग जरिये माता हेमी देवी,
4. सुशीला पुत्री लक्ष्मणसिंह,
5. लीला पुत्री लक्ष्मणसिंह,
6. भगवती पुत्री लक्ष्मणसिंह,
7. जीवनसिंह उर्फ जीवणसिंह पुत्र हीरा,
8. दौलतसिंह पुत्र हीरा,

सभी जाति रावत, निवासी ग्राम मेवासा, तहसील टॉटगढ़, जिला अजमेर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टॉटगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 69/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर एवं श्री भरत गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री विजयसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3, 7 व 8.
3. रेस्पो0 संख्या 4, 5 व 6 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः— 24.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 लक्ष्मणसिंह, जीवनसिंह एवं दौलतसिंह ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 183 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 542 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 601 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 602 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 605 रकबा 10 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी की है जिस पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 द्वारा वादी का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि को जीवनसिंह पिता हीरासिंह रावत निवासी मेवासा से उसका 1/3 हिस्सा मय चाह मे से हिस्सा को जरिये इकरारनामा मूल्यवान प्रतिफल देकर क्रय कर लिया है और तब से अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही वाद को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट ने जीवनसिंह से भूमि को जरिये इकरारनामा क्रय कर मौके पर कब्जा प्रापत किया एवं मृतक जीवनसिंह ने दो गवाहों के समक्ष इकरारनामा बैचान तहरीर कर अपने हस्ताक्षर किये है जिससे रेस्पो0/वादी पाबंद है । वादी ने खातेदार जीवनसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी कोई आपत्ति पेश नहीं की इस कारण रेस्पो0 अपने पिता की सहमति से बाधित है तथा उसे वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी अपना वाद इकरारनामा बेचान के आधार पर लेकर आया है जिसे सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है । राजस्व न्यायालय में इकरारनामा के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्श्रयाया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांट को निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक को जानकारी नहीं हो सकी थी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.4.2017 को ग्राम मेवासा में आने पर पटवारी हल्का के बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 21.4.2017 को ब्यावर जाकर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 21.4.2017 को नकल प्राप्त कर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क किया । तत्पश्चात् जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3, 7 व 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 के पश्चात् निर्णय व डिक्री की पालना कराये जाने के संदर्भ में रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 7/2016 पेश किया था जिस पर अधी0न्याया0 ने आदेश पारित कर जरिये तहसीलदार के आदेश क्रमांक 3 दिनांक 20.4.2016 की पालना में उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना की जाकर कब्जा रेस्पो0 को दिनांक 25.4.2017 को सुपुर्द किया जा चुका है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं तत्पश्चात् जरिये इजराय कार्यवाही जो कि तत्समय विधि के प्रावधानों एवं सिद्धांतों के अनुरूप की गई है, जिसे मौजूदा अपील के माध्यम से असंवैधानिक घोषित नहीं किया

जा सकता है कारण कि अपीलांट ने इजराय कार्यवाही के मुतल्लिक किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही किया है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात वादी/रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात है जिस पर प्रतिवादी/रेस्पो0 ने जबरन कब्जा कर लिया था । रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की आराजियात पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर खातेदार बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत् रूप से वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2020 आर0बी0जे0 पेज 268, 2019 आर0बी0जे0 पेज 370, 41 के न्यायिक दृष्टातं उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 ने उसकी खातेदारी आराजियात पर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा जबरन कब्जा किये जाने से अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया था । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 542, 601, 602 व 605 के खातेदार वादीगण/रेस्पो0 है । इसके विपरीत अपीलांट ने विवादित आराजियात पर इकरारनामा के आधार पर क्रय कर कब्जा होने का कथन किया है । इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में सिविल न्यायालय में चाराजोही करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण/रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है जिसकी आराजियात पर अपीलांट द्वारा इकरारनामे के आधार पर कब्जा किये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बेदखल करने की डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना होने के संबंध में भी कथन किया है । इकरारनामे के आधार पर अपीलांट/प्रतिवादी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

भंवर सिंह पुत्र भीम सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नन्दावट तहसील भीम जिला राजसमन्द।

बनाम

मु.हेमी बेवा लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम मेवासा तहसील टॉटगढ़ जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 99/2017 (2017/00099) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारीएवं सहायक कलक्टर, ब्यावर मुबर्खे 13 माह 06 सन् 2016, प्रकरण संख्या 69/2015,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 183, व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 24 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री मदनलाल गुर्जर एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट,व श्री विजयसिंह एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3,7व 8 श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 09, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः– अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06. 2016 यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक—x— रूपये—x—. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का—x— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 24 माह 09 .सन् 2021 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।